Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झुंझुनू में पटवारी एवं ई–मित्र संचालक (प्राईवेट व्यक्ति) को 18 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *28 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की झुंझुनू इकाई द्वारा आज गुरूवार को बुहाना झुंझुनू में कार्यवाही करते हुये पटवार हल्का उदामाण्डी अतिरिक्त चार्ज धुलवा **कुशाल मीणा** एवं **संदीप कुमार ई–मित्र संचालक** ग्राम गादली, बुहाना झुंझुनू को 18 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की झुंझुनू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी कृषि भूमि पर बिजली कनेक्शन हेतु कुंआ दर्शाने की एवज में पटवार हल्का उदामाण्डी अतिरिक्त चार्ज धुलवा कुशाल मीणा एवं संदीप कुमार ई–मित्र संचालक ग्राम गादली, बुहाना झुंझुनू 23 हजार रूपये हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की झुंझुनू इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज अपनी टीम के साथ में ट्रेप कार्यवाही करते हुये ई–मित्र केन्द्र संचालक संदीप कुमार ग्राम गादली, बुहाना झुंझुनू **को** 18 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में पटवार हल्का उदामाण्डी अतिरिक्त चार्ज धुलवा के पटवारी कुशाल मीणा की स्पष्ट संलिप्तता पाये जाने पर उसे भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीगण के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।